



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5760/MH/17/2025-RU-I

दिनांक: 05.05.2026

आयुक्त,
वसई विरार शहर नगर निगम (मुख्य कार्यालय),
विराट नगर, म्हाडा कॉलोनी के पास, विरार पश्चिम,
पालघर, महाराष्ट्र-401303
ई-मेल: commissioner.vmc@gov.in

विषय: आयुक्त, वसई विरार शहर महानगरपालिका द्वारा विकास हक प्रमाण पत्र (टी. डी. आर. प्रमाण पत्र) जारी नहीं करने के संदर्भ में श्री विष्णु जगू पागी एवं अन्य निवासी तहसील-वसई, पोस्ट-आमाशी, जिला-पालघर, महाराष्ट्र-401203 का अभ्यावेदन दिनांक 19.08.2025 के संदर्भ में।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 18.05.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री विष्णु जगू पागी,
निवासी तहसील-वसई,
पोस्ट-आमाशी, जिला-पालघर,
महाराष्ट्र-401203
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-5760/MH/17/2025-RU-I

दिनांक: 26.12.2025

आयुक्त,
वसई विरार शहर नगर निगम (मुख्य कार्यालय),
विराट नगर, म्हाडा कॉलोनी के पास विरार पश्चिम,
पालघर, महाराष्ट्र-401303
ई-मेल: commissioner.vmc@gov.in

विषय: आयुक्त, वसई विरार शहर महानगरपालिका द्वारा विकास हक प्रमाण पत्र (टी. डी. आर. प्रमाण पत्र) जारी नहीं करने के संदर्भ में श्री विष्णु जगू पागी एवं अन्य निवासी तहसील-वसई, पोस्ट-आमाशी, जिला-पालघर, महाराष्ट्र-401203 का अभ्यावेदन दिनांक 19.08.2025 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 18.11.2025 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

आर. के. दुबे/ R.K. Dubey
उप-निदेशक/Deputy Director
ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री विष्णु जगू पागी,
निवासी तहसील-वसई,
पोस्ट-आमाशी, जिला-पालघर,
महाराष्ट्र-401203